

पत्रांक- 835/आ०नि०को०

दिनांक- 22 जुलाई '19

आदेश

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-82 के अन्तर्गत

वाद सं०-18/2019

श्रीमती शशिकला कुमारी, ग्राम-लक्ष्मीपुर, पो०-जमुई, थाना-सिलाव, जिला-नालन्दा वादी

बनाम

उप विकास आयुक्त, नालन्दा, बिहार


..... प्रतिवादी

प्रकरण में :- श्रीमती शशिकला कुमारी, ग्राम-लक्ष्मीपुर, पो०-जमुई, थाना-सिलाव, जिला-नालन्दा को इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत आवास आवंटन नहीं किये जाने से सम्बन्धित परिवाद।

वादी के पति श्री गौरीशंकर उपस्थित हुए। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी की ओर से श्री मनौवर आलम, प्रखण्ड कार्यालय, राजगीर, नालन्दा भी उपस्थित हुए हैं। प्रतिवादी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, राजगीर की ओर से राज्य आयुक्त निःशक्तता को सम्बोधित पत्र सं०-934 दि०-16.07.2019 की मूल प्रति समर्पित की गई है, जिसमें प्रखण्ड विकास पदाधिकारी ने उल्लेखित किया है कि श्रीमती शशिकला कुमारी (वादी) जो ग्राम-लक्ष्मीपुर को SECC, 2011 के डाटा में नामांकित नहीं है। उनके प्रतिवेदन में यह भी उल्लेखित है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) इंदिरा आवास योजना का लाभ अभी SECC, 2011 के डाटा के अनुसार दिया जा रहा है। उक्त पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि SECC डाटा पुनः तैयार होता है, तो वादी का नाम इसमें जोड़कर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मुहैया कराया जायेगा।

उपरोक्त के आलोक में वाद को समाप्त किया जाता है।

आदेश की प्रति सम्बन्धित पक्षकारों को निर्गत करें।



(डॉ० शिवाजी कुमार),

राज्य आयुक्त निःशक्तता,
डॉ शिवाजी कुमार
बिहार, पटना।
राज्य आयुक्त निःशक्तता
बिहार, पटना

